

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

गिरिराज सिंह बनाम सुरेश मिश्रा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरस्ताक्षर जज


दावा

क्र. नं. - 53/2023

नाम
अहम
हुक्म
में

16.07.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिती में वादपत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

